न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–श्री चावण्डदान चारण (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 215 सन् 2015
पंजीयन दिनांक 14.09.2015

मीना पुत्री उदयराम जाति धाकड निवासी विजयपुर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलार्थिया

विरूद्व

1. मिठु पिता गोपी जाति धाकड निवासी दौलतपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा विजयपुर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3. भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्व निर्णय व डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़
प्रकरण संख्या 238/2014 निर्णय एंव डिक्री दिनांक 01.07.2015

उपस्थित– 1. अमित नाहर –अधिवक्ता अपीलार्थिया
2. छोगालाल जाट – रेस्पोडेन्ट सं. 1
3. रेस्पोडेन्ट सं. 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित
4. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक–रेस्पो.सं.3

निर्णय **दिनांक 05.01.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थिया वादिया ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि अपीलार्थिया की पैतृक कृषि भूमि मौजा भडकिया, कोटडी, दौलतपुरा पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील चित्तौड़गढ़ की खाता सं. 35 मे दर्ज आराजी नम्बर 33 रकबा 0.19 है0 खाता सं. 13 मे अंकित आराजी नम्बर 33,29,30,31,32 किता 5 रकबा 2.40 हैक्टेयर व खाता सं. 7 में अंकित आराजी नम्बर 136,137 कुल किता 2 कुल रकबा 2.74 है0 खाता सं. 5 मे अंकित आराजी

करती चली आ रही है, किन्तु रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अपीलार्थिया वादिया को उसके निहित हक हिस्से से मेहरूम करने के लिये गोपी की बीमारी के कारण सोचने समझने की क्षमता कम होने का फायदा उठाकर सम्पूर्ण कृषि भूमि अपने नाम पंजीकृत दान विलेख तैयार करा अपने नाम दर्ज करा ली है। जबकि गोपी को उक्त भूमि मे उदयराम का 1/3 हक हिस्सा निहित होने से अपने हिस्से से अधिक भूमि का दान करने का अधिकार नही था। दान विलेख से गोपी द्वारा किया गया दान अपीलार्थिया वादिया के हक के मुकाबले शून्य व निष्प्रभावी है। विवादित आराजीयात मे अपीलार्थिया का अपना 1/3 हक हिस्से की खातेदारी घोषणा कराने की अधिकारी है। घोषित हिस्से अनुसार आराजीयात का विभाजन कराने की अधिकारी होने से वादपत्र खातेदारी घोषणा विभाजन का पेश किया। उक्त आराजीयात रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज होने से अपीलार्थिया को उसके हिस्से से जबरन बेदखल करने व आराजीयात का विक्रय करने पर आमादा है जिससे रेस्पोडेन्ट सं. 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। इस अनुसार घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री चाही गयी।

उक्त आशय का वादपत्र विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। व इसी दौरान राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रकरण के निस्तारण हेतु न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प कोर्ट अमरपुरा अटल सेवा केन्द्र मे नियत की गई। जिसमे अपीलार्थिया वादिया उपस्थित हुई व रेस्पोडेन्ट प्रतिवादीगण अनुपस्थित बताया। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्टगण की तामील होना मानते हुए अनुपस्थित होना बताते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए आवश्यक पक्षकार के अभाव मे वादपत्र चलने योग्य नही होना मानते हुए निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.07.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलार्थिया वादिया ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की जो इस न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की जाकर प्रकरण वास्ते बहस उभय पक्षकारान हेतु नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थिया ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट अमरपुरा मे अपीलार्थिया की उपस्थिति व रेस्पोडेन्टगण बावजुद सूचना अनुपस्थित बताते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए अपीलार्थिया वादिया का वादपत्र इस आधार पर निरस्त किया है कि देऊ,भोली, नानी गोपी की पुत्रियां है जो आवश्यक पक्षकार थी, उनको पक्षकार मुकदमा बनाये बगैर वादपत्र प्रस्तुत किया गया है जो निरस्त किया जाने योग्य है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे जो राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत किया गया है उसमे गोपी पिता नगजीराम खातेदार रहा है।

तामील हेतु नियत थी। रेस्पोडेन्ट की कोई तामील विचारण न्यायालय मे प्राप्त होना नही पाया जाता है। फिर भी अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता का अपहरण करते हुए अपीलार्थिया का वादपत्र खारीज किया है। जिससे अपीलार्थिया की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिपूर्ण होना बताते हुए अपीलार्थिया की अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली से विदित होता है कि पत्रावली तामील हेतु नियत थी। व उक्त प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट अमरपुरा मे नियत की गई जिसमे उभयपक्ष उपस्थित हुए व उपस्थिति के हस्ताक्षर किये। पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का कोई राजीनामा लिखित रूप मे होना पत्रावली के अवलोकन से नही पाया जाता है। फिर भी रेस्पोडेन्टगण स्वंय उपस्थित है व रेस्पोडेन्टगण के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका पर पाये जाते है। फिर भी रेस्पोडेन्टगण को बावजुद सूचना अनुपस्थित होना बताते हुए अपीलार्थिया का वादपत्र पक्षकारान के अभाव मे खारीज किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता का अपहरण कर विधिक प्रक्रिया के विपरीत अपरिपक्व पत्रावली का निर्णय बिना राजीनामे के लोक अदालत के तहत पारित किया गया है, जो राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित दृष्टान्त आर.एल.डब्ल्यु 2008 पार्ट–2 पेज 975 मे पारित सिद्वान्तो के विपरीत होने से संहवनीय नही होकर अपीलार्थिया की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 238/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 01.07.2015 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर तनकीवार निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्य प्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी

(चावण्डदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ